

Topic: Maximum Social Advantages

18-20
Sem - 3rd

इस सिद्धान्त के अनुसार समाज की अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब तक कि उस समय समाज उपयोजित अपना व्यय लावण्यता व्यय से मिलने वाली परिणत उपयोजित अपना लाभ के बराबर हो जाये।


अधिकतम लाभ का सिद्धान्त का सिद्धान्त राज्य के आयकर भूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके प्रतिपादक Dalton, Pigou तथा Musgrave and Dalton के अनुसार "राज्य ही सर्वोत्तम ऋणाली वह है जिसके राज्य अपने कामों द्वारा अधिकतम लाभ को प्राप्त करता है" जो Pigou के इस 'अधिकतम कुल व्यय का सिद्धान्त' (Principle of Maximum Aggregate Welfare) को ही Musgrave ने इसे 'व्यय निर्धारण के अधिकतम प्रमाण का सिद्धान्त' (Maximum Welfare Principle of Budget Determination) कहा है - यह सिद्धान्त राज्य के व्यय को स्पष्ट किया जाता है - राजस्व का आय-व्यय की सीमा के निर्धारण का अवलोकन किया जाता है - वही 'वैकल्पिक प्रमाण का सिद्धान्त' (Principle of Social Welfare) का नाम दिया है।

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अन्तर्गत तीन भागों में विभाजित है: 1) आय एवं व्यय की सीमा: पारंपरिक व्यय से उल विद्युत ले जाना चाहिए जिस विद्युत या व्यय से अधिक ईंधन से जनता को मिलने वाली उपयोजित व्यय की सीमा के लिए खर्च इस प्रकार जहाँ का ही अधिक ईंधन से क्षेत्र वाली व्यय लागों के बराबर हो जाये अर्थात् जिस विद्युत पारंपरिक व्यय की सीमा उपयोजित (Marginal Utility) कार्यालय के सीमा व्यय (Marginal Sacrifice) के बराबर हो जाये।

2) आवधिक व्यय का आवंटन: विभिन्न कार्यों या क्षेत्रों में व्यय की आवधिक आवंटन इस प्रकार करना चाहिए जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की आवधिक आवंटन से मिलने वाली उपयोजित लाभ ले अर्थात् सम-सीमा उपयोजित की सीमा को प्राप्त करने के लिए खर्च इस प्रकार जहाँ का ही अधिक ईंधन से क्षेत्र वाली व्यय लागों के बराबर हो जाये अर्थात् जिस विद्युत पारंपरिक व्यय की सीमा उपयोजित (Marginal Utility) कार्यालय के सीमा व्यय (Marginal Sacrifice) के बराबर हो जाये।

3) करों का विभाजन: करों की कुल राशि को विभिन्न स्तरों या व्ययों में इस प्रकार विभाजित करना चाहिए जिससे विभिन्न व्ययों का कर की आवधिक आवंटन से मिलने वाली उपयोजित लाभ ले अर्थात् सम-सीमा उपयोजित की सीमा को प्राप्त करने के लिए खर्च इस प्रकार जहाँ का ही अधिक ईंधन से क्षेत्र वाली व्यय लागों के बराबर हो जाये अर्थात् जिस विद्युत पारंपरिक व्यय की सीमा उपयोजित (Marginal Utility) कार्यालय के सीमा व्यय (Marginal Sacrifice) के बराबर हो जाये।

सीमांत
व्याज
स्वतंत्र
उपयोगिता




व्यय और कर की इकाई का

चित्र में U व S राजस्व व्यय (public expenditure) में वृद्धि को प्राप्त होने वाली उपयोगिता (utility) को प्रदर्शित करती है। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यय को बढ़ाने वाले व्यय को प्रदर्शित करती है। यह वृद्धि उपर की ओर U व S को बढ़ाकर कर के होने वाली सीमांत व्याज क्रमशः बढ़ता चला जाता है। दोनों वृद्धि एक ही बिंदु M काटते हैं, जो पारस्परिक बिंदु है। यह बिंदु यह स्पष्ट करता है कि सरकार को अपनी आम आब व्यय की क्रियाओं को OR सीमा तक ले जाना चाहिए। क्योंकि इस सीमा तक सीमांत व्याज और

सीमांत उपयोगिता (MR) बराबर है। यदि सरकार इससे कम अर्थात् OR_1 का लगाती है तो सीमांत व्याज P_1 तथा सीमांत उपयोगिता M_1P_1 होगी, अर्थात् सीमांत उपयोगिता P_1 व्याज के M_1P_1 अधिक होगी। ऐसी स्थिति इस बात को प्रदर्शित करेगी कि अभी और ज्यादा व्यय करने, जिससे सरकार अपने व्ययों को बढ़ाकर लाभ की ओर अधिक ध्यान देकर चले। इसके विपरीत यदि व्यय की मात्रा OR_2 सीमा तक ले जाई जाती है तो इस सीमांत उपयोगिता P_2R_2 तथा सीमांत व्याज M_2R_2 होगा, अर्थात् सीमांत व्याज P_2R_2 उपयोगिता के M_2P_2 अधिक होगा। इस स्थिति में लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक व्यय को अधिकतम शुद्ध लाभ अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः सरकार को अधिक व्यय P_1 तक ले जाना ही प्रयोज्य माना जा सकता है।
 (2) पारस्परिक व्यय को विभिन्न मध्यम आर्थिक लाभ को किस प्रकार बढ़ाना व्याज इस तरह देखा मित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

सीमांत
उपयोगिता




प्रस्तुत चित्र अर्थशास्त्र में सरकार को कुल OE व्यय करना है और इसे दो मध्यम A और B में विभाजित करना है। अर्थात् सीमांत उपयोगिता को क्रमशः AA और BB वृद्धि द्वारा दिखाया जाता है। इस सीमांत उपयोगिता चित्र के आधार पर OE व्यय

OE_1 राशि A में बढ़ना OE_2 राशि B में बढ़ना व्यय करेगी, क्योंकि देखा जाये AA और BB दोनों मध्यम के मिलने वाली सीमांत उपयोगिता CE और DE बराबर होगी। तब व्यय को अधिकतम लाभ मिलेगा। इसी बिंदु पर अधिकतम लाभ की पुष्टि के लिए यह विकल्प माना जाता है कि यदि सरकार A में OE_1 व्यय को OE_2 से बढ़ाकर OE_3 तक ले जाए तो व्यय OE_2 से बढ़ाकर OE_3 का देना क्या स्थिति होगी।

स्पष्ट है कि A में OE_1 बढ़ने वाले व्यय से बढ़ने वाली उपयोगिता का क्षेत्र B में OE_2 व्यय कम करने के उपयोगिता में होने वाली कमी G, E_3, E_2, D से कटने के अर्थात् सरकार एक-दो उपयोगिता में होने वाली कमी की स्थिति में कोई परिवर्तन करेगी, तो व्यय को मिलने वाली उपयोगिता अधिक नहीं होगी।

(3) व्यय को विभिन्न व्ययों के किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए- इसके लिए एक-एक सीमांत व्याज के विधान का खकाश देना होगा, अर्थात् व्ययों का मात्रा विभिन्न व्ययों के इस प्रकार विभाजित किया जाना कि प्रत्येक व्यय का सीमांत व्याज बराबर हो जाए, जिससे व्यय को प्राप्त किया जाने वाले कुल व्यय की मात्रा न्यूनतम रहे। व्यय का के विभाजन की व्याख्या निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

सीमांत
लागत



कर की दरियाँ

प्रारंभिक चित्र में A A रेखा और B B रेखा दो कर्मचारियों के सीमांत लागत को दर्शाती हैं दोनों के कुल लागत को समतल रखने की दृष्टि से बिना OX_1 तथा A पर OX_2 राशि के परिवर्तन का लगाया जायेगा, क्योंकि रेखा करते या दोनों कर्मचारियों का सीमांत लागत OX_1 और OX_2 बराबर है

विद्यार्थी सीमांत: ① उपयोगिता और अनुपयोगिता के माप की रूढ़िगई - अधिकांश

अधिकतम लाभान्वितता का बिंदु है, जहाँ कर्मों द्वारा खोने वाली सीमांत उपयोगिता तथा अनुपयोगिता तथा राजस्वीय व्यय के खोने वाली सीमांत उपयोगिता तथा अनुपयोगिता के बीच अंतर है, लेकिन व्यवहार में खोने उपयोगिता और अनुपयोगिता का मापना उचित होता है (2) **आय और व्यय का परवलय**: सरकारी चित्र-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपरोक्त आय-व्यय की राशि पहले निर्धारित ही जाती है और फिर आय-व्यय का पुनर्निर्धारण करते हैं किनु अधिक आवश्यकता ज्ञान में का प्राप्त न हो, तो मापने अनुपयोगिता व्यय में व्यय में कटौती का ही जाती है अथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था को अपनाया जाता है (3) **वर्तमान लागत और आय उपयोगिता की परवला**: अनेक राजकीय व्यय अधिकतम आय प्राप्त दृष्टिकोण पर किए जाते हैं, यह बात पिछले चित्र पर विशेष रूप से लागू होती है जहाँ पर कर भार तत्काल पड़ता है, अतः अधिकतम कालीन लाभ तथा वर्तमान लागत के आधार पर अधिकतम लाभान्वित लाभ का अनुमान लगाया जाता है (4) **कर शोषण के अर्थ प्रभाव**: जब विद्यार्थी ने यह मान लिया जाता है कि कर शोषण के द्वारा लाभ में कटौती होना है, यदि धारित व्यय बढ़ाओ पर कर लगाओ उनसे उपयोगिता निर्धारित किया जाये तो व्यय का कटौती के लागत उपयोगिता मिल सकती है (5) **राजस्वीय प्रयोगों पर विविध गैर-अर्थिक व्ययों का प्रभाव** - यदि हम पर

मान लेते कि उपयोगिता और लागत का माप आय और इनकी तुलना करना है तो भी इस विद्यार्थी के व्यवहारिक प्रयोग में कठिनाईयें आती हैं, क्योंकि राजस्वीय प्रयोगों अनेक गैर-आर्थिक, व्यक्तिगत और राजकीय व्ययों पर प्रभावित होती हैं **निष्कर्ष**: डाल्टन के अनुसार "यह विद्यार्थी सरल है, स्पष्ट है कि शोधपूर्ण है, लेकिन उपरोक्त व्यवहार में प्रयोग करना उतना ही कठिन है" यद्यपि इस विद्यार्थी के कुछ व्यवहारिक कठिनाईयें हैं, लेकिन यह विद्यार्थी लोक-वित्त के विचारों के लिए मार्गदर्शक है, तथा इस बात पर जोर देना है कि व्यय का निर्धारण अधिकतम आय कुशलता के लाभ करना है।

अधिकतम लाभान्वितता लागत के लक्षण या लाभान्वित लाभ की आर्थिक कठिनाईयें: डाल्टन के अधिकतम लाभान्वित लाभ के मापन का आधार Objective Basis पर ही बनाया जा सकता है।
① **पुरखे खर्च का अनु-व्यवस्था**: सरकारी या गैर-सरकारी जो व्यय है कि वह देना ही पुरखे वाला एक प्राथमिक दोनों प्रकार के गैर आर्थिक धारित और कार्य-आधारित व्यय पुरखे केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजकीय लाभान्वित और गैर-पारदर्शी व्यय भी आर्थिक शोषण है तथा डाल्टन ने कहा कि राजस्वीय आर्थिक प्रयोगों पर पारदर्शी मिलने वाले व्ययों को

विदेशी आक्रमणों को प्रोत्साहन मिले और तदी. आंतरिक भंग हो सकें।

(2) आर्थिक कल्याण में वृद्धि: राज्य के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात देश के आर्थिक कल्याण की वृद्धि करना है। सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके या निर्णय होती है - (1) उच्चापन शक्ति की वृद्धि तथा (2) विवरण में सुधार।

उच्चापन शक्ति में वृद्धि निम्न कारणों पर निर्भर करती है:

- (a) कम-से-कम कुशासी में अधिकतम उत्पादक हो सकें
- (b) उत्पादन के साधनों में छेड़ छेड़ो सुधार हो जाए, जिससे आर्थिक संसाधनों का अधिकतम कम किया जा सके, तथा (c) उच्चापन का ढाँचा ऐसा हो जिससे उत्पादों की आवश्यकताओं को अधिकतम अच्छी तरह पूरा किया जा सके।

(1) विवरण में सुधार: आज के युग में उचित विवरण द्वारा ही उत्पादों के अधिकतम कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, कारण यह है कि समाज के व्यक्ति वर्गों पर इस प्रकार अधिक प्रभाव पड़े और सामाजिक व्यक्तियों को इस प्रकार निर्मोहित करना चाहिए कि नियंत्रण को के लोगों को वास्तविक आय को बढ़ाया जा सके।

(2) भारी पीढ़ी का प्रभाव: राज्य ने उद्योग विरासती विज्ञान कल्याण पर अधिकतम आविष्कार का संरक्षण है, नागरिक जाले रहते हैं, लेकिन समाज इसका परिणाम खता है। इसलिए राजनीतिक वर्गों में कम सामाजिक लाभ की तुलना में अधिकतम में अधिकतम सामाजिक लाभ को अधिकतम महत्व देना चाहिए। अतः यदि राज्य में कोई कार्य आविष्कार में नागरिकों की कार्य-शक्ति की ईच्छा तथा शक्ति में वृद्धि करता है, तो उसे उपयुक्त ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए।

(3) आर्थिक स्वाभिवल एवं रोजगार: यदि देश में आर्थिक स्वाभिवल बना रहेगा तो सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। इसके लिए अर्थशास्त्रज्ञ लोगों को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। अर्थशास्त्रज्ञों में से किसी का मूल्य न हो सके रोजगार मिले। अतः राज्य सरकार को इस प्रकार विचारित करना चाहिए जिससे अर्थशास्त्रज्ञों को अताकाल में भी तब तक नगरी को निर्भरित किया जा सके और अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

निष्कर्ष: यदि उपरोक्त सिद्धांतों की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाय कि हम विकास को अपनाने में कठिनाईयों हैं। लेकिन फिर भी समाज को प्रोत्साहित करना है कि अधिकतम करने में इसके महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रज्ञों हैं। इस सिद्धांत के आधार पर सरकार अपनी आय और व्यय को किया और प्रचालन को संभाले जा पाती है।